

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2232
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अन्तर्गत धनराशि आवंटन

2232. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत इसके आरंभ से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ख) क्या सरकार का एनएचएम को मजबूत करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का विचार है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की प्राप्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेषकर अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से मिले प्रस्तावों के आधार पर, भारत सरकार मापदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अभिलेखों की कार्यवाही के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है। एनएचएम के तहत आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 में 31,100.00 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 37,226.92 करोड़ रुपए हो गया है। एनएचएम के तहत आरंभ से लेकर अब तक, आवंटित की गई, जारी की गई और उपभोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय आवंटन, केंद्र द्वारा जारी की गई निधि और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29.13	29.19	23.60	24.57	37.55	25.91	44.90	28.92	33.94	32.84	18.05	41.49	34.92	41.66
2	आंध्र प्रदेश	926.80	1,092.88	560.73	943.92	659.04	1,105.70	629.55	1,287.04	875.06	1,555.50	1,081.29	1,658.07	1,111.07	1,820.15
3	अरुणाचल प्रदेश	79.33	92.76	140.75	70.84	163.80	147.41	160.60	165.42	261.70	165.75	216.92	168.74	185.95	186.21
4	असम	1,096.52	975.59	898.15	936.90	997.59	1,212.25	1,046.09	1,337.40	1,392.66	1,476.86	1,381.51	1,571.54	1,749.24	1,856.33
5	बिहार	1,259.04	1,629.40	1,296.02	1,575.09	1,269.67	1,731.85	1,040.59	1,619.20	1,557.40	1,820.14	1,409.78	1,788.82	1,510.68	2,842.26
6	चंडीगढ़	11.93	14.89	12.60	15.71	24.66	21.75	21.47	24.57	20.35	31.64	27.06	30.42	22.77	20.97
7	छत्तीसगढ़	370.52	820.03	512.13	727.76	423.31	769.33	586.97	999.33	825.76	1,180.27	875.10	1,138.90	816.07	1,464.47
8	दादरा और नगर हवेली	9.34	9.94	8.75	8.91	14.63	15.79	17.12	17.36	19.14	19.76	23.46	23.15	25.33	23.67
9	दमन एवं दीव	6.55	8.45	7.03	7.78	10.66	10.14	11.53	10.24	10.67	10.63	11.76	14.67	16.79	11.36
10	दिल्ली	142.36	145.18	167.77	236.38	176.56	150.05	241.98	155.15	268.39	251.37	154.23	156.47	138.74	173.28
11	गोवा	20.36	31.59	28.33	31.81	17.30	25.44	26.13	37.38	26.07	43.28	33.96	46.23	35.47	58.47
12	गुजरात	903.12	1,046.88	940.17	980.98	714.39	1,293.03	863.66	1,395.67	1,221.83	1,593.16	1,038.69	1,793.63	1,110.80	1,864.73
13	हरियाणा	352.17	460.02	331.28	495.86	318.21	519.47	335.55	535.09	384.25	637.75	538.83	705.96	567.71	792.64
14	हिमाचल प्रदेश	210.91	164.23	196.51	317.59	249.14	283.90	212.49	346.58	370.89	377.08	345.43	441.38	504.84	469.60
15	जम्मू और कश्मीर	406.12	402.12	357.42	415.21	375.34	428.38	362.42	419.55	550.42	521.86	556.46	573.12	702.20	662.56
16	झारखंड	413.24	538.35	384.15	396.54	423.93	602.61	454.64	633.54	735.99	753.03	616.23	1,039.07	830.63	1,090.11
17	कर्नाटक	660.39	861.84	803.86	964.80	772.15	1,173.31	714.09	1,291.49	1,345.50	2,016.65	1,254.82	1,942.61	1,173.77	2,384.28
18	केरल	374.73	686.83	537.48	525.32	315.35	644.09	452.36	744.98	586.52	936.35	887.90	1,074.25	836.14	1,023.94
19	लक्षद्वीप	3.21	2.29	5.10	1.38	5.72	2.75	3.83	4.33	5.54	6.20	6.58	5.85	6.16	6.55

वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केंद्रीय आवंटन, केंद्र द्वारा जारी की गई निधि और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		
		केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.91	42.68	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71	49.99	44.41	48.68	30.33	16.82
2	आंध्र प्रदेश	1,097.81	2,385.48	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82	1,377.78	663.25	1,016.55
3	अरुणाचल प्रदेश	243.04	209.06	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44	388.86	472.93	401.56	148.81	119.04
4	असम	1,807.48	1,846.86	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54	2,234.72	1,155.91	748.25
5	बिहार	1,814.63	2,415.34	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31	2,666.12	1,290.43	1,924.76
6	चंडीगढ़	22.21	19.52	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85	43.43	37.29	36.28	29.29	14.93
7	छत्तीसगढ़	979.41	1,521.30	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09	1,298.94	291.66	616.71
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	36.39	35.74	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96	40.96	40.47	63.17	19.55	9.48
9	दिल्ली	125.73	210.83	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41	240.39	365.44	332.08	192.80	218.23
10	गोवा	34.81	67.43	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	84.53	55.06	95.17	51.29	30.56	58.64
11	गुजरात	1,005.66	1,894.46	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15	1,500.36	906.14	935.55
12	हरियाणा	531.50	829.12	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06	639.38	355.70	287.89
13	हिमाचल प्रदेश	441.94	425.58	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	629.76	523.70	654.52	569.74	332.03	142.16
14	जम्मू और कश्मीर	667.46	657.53	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30	1,077.72	443.64	385.05
15	झारखंड	602.80	999.71	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59	1,230.06	561.22	873.10
16	कर्नाटक	1,232.19	2,320.37	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23	1,440.91	745.90	957.48
17	केरल	788.22	1,457.75	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88	927.61	634.99	968.41
18	लक्षद्वीप	7.11	6.99	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10	9.68	10.00	11.54	7.05	2.43
19	मध्य प्रदेश	2,377.14	3,397.82	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77	2,842.59	1,422.94	2,170.79
20	महाराष्ट्र	1,833.59	3,503.62	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86	2,660.98	1,450.08	2,637.40
21	मणिपुर	189.49	112.79	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32	279.16	295.79	287.14	65.49	89.71
22	मेघालय	202.63	213.36	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83	297.95	393.01	280.78	89.65	113.47
23	मिजोरम	143.73	131.36	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	179.84	159.96	174.67	189.98	38.17	50.13

24	नागालैंड	188.21	159.72	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69	204.47	243.60	241.11	89.99	62.38
25	ओडीशा	1,617.63	2,347.24	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01	1,786.27	1,154.08	1,211.24
26	पुदुचेरी	25.55	47.32	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74	26.27	49.27	59.44	14.61	22.01
27	पंजाब	568.14	908.98	349.21	918.96	448.89	1,054.39	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72	671.56	387.41	269.35
28	राजस्थान	2,000.58	2,943.21	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33	2,842.92	1,198.46	1,029.47
29	सिक्किम	70.13	52.06	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	75.77	81.67	89.59	97.13	25.13	30.22
30	तमिलनाडु	1,522.71	2,172.33	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74	1,747.97	1,214.08	2,002.96
31	त्रिपुरा	225.91	249.74	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	309.62	268.67	279.35	312.19	157.34	124.85
32	उत्तर प्रदेश	3,772.95	7,080.45	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16	5,583.32	2,569.98	2,690.95
33	उत्तराखंड	583.25	503.53	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79	604.05	760.15	616.80	380.52	287.75
34	पश्चिम बंगाल	1,895.01	2,598.62	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07	1,971.36	522.46	719.72
35	तेलंगाना	671.88	1,354.93	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42	960.35	240.14	448.72
36	लद्दाख	91.89	38.56	44.79	62.81	94.95	109.67	120.44	119.67	135.98	150.50	146.49	73.58	53.69

नोट :

- 1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में दो उप-मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। व्यय विभाग के दिनांक 23.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 से सभी पूल और कार्यक्रमों को "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए फ्लेक्सिबल पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" के तहत मिलाकर एक कर दिया गया है।
- 2) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।
- 3) वित्त वर्ष समाप्त होने के पश्चात, केंद्रीय आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है।
- 4) उपर्युक्त जारी की गई निधि केंद्र सरकार अनुदान से संबन्धित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र द्वारा जारी की गई निधि दिनांक 19.11.2025 तक अद्यतन की गई है और यह अंतिम है।
- 5) व्यय में, केंद्र द्वारा जारी की गई निधि, राज्य द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के आरंभ में अव्ययीत शेष संबंधी व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफएमआर के अनुसार है और अंतिम है। चंडीगढ़ (दिनांक 31.05.2025 तक अद्यतन) और अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पंजाब (दिनांक 31.07.2025 तक अद्यतन), हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, (दिनांक 31.08.2025 तक अद्यतन) को छोड़कर, आरसीएच आदि के लिए फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में व्यय दिनांक 30.09.2025 तक अद्यतन किया गया है।
- 6) जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) के जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठन के बाद, वर्ष 2020-21 के दौरान लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र को पहली बार एनएचएम निधि आवंटित की गई।
